48

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 2414–दो/2014 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 13–6–14 – पारित व्दारा – नायव तहसीलदार रामपुर वाघोलान – प्रकरण कमांक 31 अ–27/2013–14

रामभान त्रिपाठी पुत्र स्व.सहोदव त्रिपाठी
ग्राम बीदा तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना मध्य प्रदेश ––आवेदक

विरूद्व

रोहणीप्रसाद त्रिपाठी पुत्र सहादेव त्रिपाठी
ग्राम बीदा तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना , मध्य प्रदेश ––––अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जितेन्द्र तिवारी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री रूद्रदत्त तिवारी)

आ दे श
(आज दिनांक 9 – 07 –2018 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार रामपुर वाघेलान के प्रकरण कमांक 31 अ–27/2013–14 में पारित आदेश दिनॉक 13–6–14 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार रामपुर वाघेलान के समक्ष बटवारे का आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बीदा एंव ग्राम मझियार की सामिलाती भूमि होना बताते हुये कुल किता 7 कुल रकबा 6–768 हैक्टर

के बटवारे की मांग की, जिस पर नायव तहसीलदार रामपुर वाघेलान ने प्र.क्र. 31 अ–27/2013–14 पॅजीबद्व कर पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदक ने आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि रोहणीप्रसाद त्रिपाठी पुत्र सहादेव त्रिपाठी भूमियों में सहखातेदार नहीं है एंव भूमियां संयुक्त परिवार की नहीं है जो स्वअर्जित है इसलिये दावा प्रचलनशील न होने से निरस्त किया जाय। नायव तहसीलदार ने आपत्ति आवेदन पर पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दि. 13–6–14 पारित किया तथा वादित भूमियों का विभाजन किया जाना उचित है या नहीं, इसका निराकरण अंतिम आदेश में किया जावेगा, इसलिये आपत्ति आवेदन निराधार होने से निरस्त किया जाता है, निर्णीत किया। नायव तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने ग्राम बीदा एंव ग्राम मझियार की भूमि सामिलाती होना बताते हुये बटवारे की मांग की है जबकि आवेदक की आपत्ति यह है कि उक्त भूमियां सामिलाती भूमि नहीं है इसलिये बटवारे का दावा प्रारंभिक–स्तर पर ही निरस्त किया जाय। नायव तहसीलदार रामपुर वाघेलान के प्रकरण कमांक 31 अ–27/2013–14 में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि बटवारे के दावे के अनुसार ग्राम बीदा एंव ग्राम मझियार की

भूमियां सामिलाती होना बतो हुये बटवारे की मांग उठायी है।

बैजू विरूद्व मुलायमवाई रा0नि0 465 एंव पैतराम विरूद्व राजस्व मण्डल 2969 रा0नि0 258=1968 जे0एल0जे0 304 के न्याय दृष्टांत इस प्रकार है –

अनेक प्रसॅग ऐसे होते हैं विशेषतः हिन्दू संयुक्त परिवार में, जिसमें बहुधा केवल कर्ता का नाम प्रविष्टि होता है। उपधारा (1) में किसी सह भूमिस्वामी का उस रूप में प्रविष्टि होना आवश्यक नहीं माना गया है। यदि ऐसा व्यक्ति जो सह भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्टि नहीं है, खाते के विभाजन का आवेदन करें और यदि उसके हक को अन्य सह भू धारी अस्वीकार करे तब उसका आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता।

उक्तानुसार की गई आपत्ति पर स्पष्ट स्थिति जानने के लिये प्रकरण में पूर्ण जांच होना एंव लेखी तथा मौखिक साक्ष्य लेना आवश्यक है, जिसके कारण नायव तहसीलदार रामपुर वाघेलान के प्रकरण कमांक 31 अ–27/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 13–6–14 में लिया गया निर्णय दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता जिसके कारण ऐसे आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव नायव तहसीलदार रामपुर वाघेलान के प्रकरण कमांक 31 अ–27/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 13–6–14 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर